उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग पर दिनांक 30-3-1982 को 10-30 बजे पूर्वाह्न में हुई उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद की वर्ष-1982 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

निम्नलिखित उपस्थित थे:-

(1)	श्री बी०जे०पोदारजी		अध्यक्ष
(2)	श्री आदित्य कुमार रस्तोगी	सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग।	सदस्य
(3)	प्रो०दिनेश मोहन	निदेशक, सी०बी०आर०आई०, रुड़की।	सदस्य
(4)	श्री ओम प्रकाश बिश्नोई	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
(5)	श्री जे०पी०दूबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
(6)	श्री एस०डी०शर्मा	उप सचिव, वित्त	सदस्य
(7)	श्री आर०एस०माथुर	आवास आयुक्त	सदस्य

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

क्र०सं०	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1	2	3	4
1- दिनांक 18-2-82 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।		II/(1)/82	परिषद की दिनांक 18-2-82 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गयी:- 1- मद संख्या-10 में परिषद व्दारा लिये गये निर्णय की तीसरी पंक्ति में ''विचारार्थ'' शब्द स्पष्ट नहीं लिखा है उसे साफ साफ लिख दिया जाय। 2- मद संख्या-33 में लिये गये निर्णय की चौथी पंक्ति में ''अर्जन'' के स्थान पर ''अर्बन'' लिख दिया जाय।
2- परिषद की बैठक दिनांक 18-2-82 की अनुपालन आख्या।		II/(2)/82	परिषद व्दारा दिनांक 18-2-1982 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित आख्या का अवलोकन किया गया और निम्नलिखित निर्देश दिये गये:- 1- वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में शासनादेश प्राप्त करने का शीघ्र प्रयास किया जाय और सम्बन्धित अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराये जायें ताकि कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। इस संदर्भ में सचिव, आवास एवं

क०प०उ०

1	2	3	4
			नगर विकास विभाग ने कहा कि वह ऐसे सभी मामलों में जो शासन स्तर पर लम्बित हैं, की समीक्षा अप्रैल-1982 में एक बैठक बुलाकर करेंगे और सारे मामलों का निस्तारण करायेंगे।
		2-	सहायक निदेशक (प्रचार) के रिक्त पद को भरने की कार्यवाही अप्रैल माह में अवश्य सम्पन्न करायी जाय।
		3-	भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में राजस्व परिषद के अध्यक्ष / सदस्य (भूमि अर्जन) की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक बिना किसी विलम्ब के सम्पन्न करायी जाय। सचिव, आवास एवं नगर विकास विभाग से यह अनुरोध किया गया कि कानपुर के लिये स्वीकृत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पद पर शासन के नियुक्ति विभाग से शीघ्र तैनाती कराने की कृपा करें।
		4-	मुरादाबाद व अलीगढ़ में पुलिस कर्मियों व्दारा परिषद के आवास गृहों पर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण के संबंध में शासन स्तर पर शीघ्रताशीघ्र निर्णय कराने का प्रयास किया जाय। यह मामला पुराना हो गया है और आगे विलम्ब हो जाने से इसका निराकरण करने में काफी जटिलता हो जायेगी।
		5-	इन्दिरा नगर में 80 मध्यम आय वर्ग एम०ए०-75 के भवनों के प्राविधिक परीक्षण के संबंध में शासन के सार्वजनिक निर्माण विभाग स्तर से अविलम्ब निर्णय कराया जाय। (शासन के आवास विभाग व्दारा)
		6-	परिषद के सभी निर्मित कालोनीज़ को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने के संबंध में सचिव, आवास एवं नगर विकास के स्तर पर यथाशीघ्र बैठक आयोजित कराकर इस समस्या का अंतिम रूप से निराकरण कराया जाय।
		7-	परिषद के लेखों का समायोजन तथा मिलान एवं लेखा मैनुअल तैयार करने में मैसर्स तुली एण्ड कम्पनी व्दारा किये गये अप्रत्याशित विलम्ब को देखते हुये यह निर्णय लिया गया कि मैसर्स तुली एण्ड कम्पनी से किये गये अनुबन्ध समाप्त कर दिये जायें और परिषद के अधिकारियों/ कर्मचारियों के माध्यम से इस कार्य को सम्पादित कराया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि लेखा-मैनुअल के तैयार करते समय जल निगम व्दारा तैयार किये गये लेखा मैनुअल को भी देख लिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि 1 अप्रैल, 1982 से मुख्यालय स्तर पर डबुल इन्ट्री सिस्टम लागू कर दिया जाय। यह निर्णय भी लिया गया कि लेखों

कृ०प०उ०

1	2	3	4
			के समायोजन तथा मिलान तथा लेखा मैनुअल तैयार कराने का समयबद्ध कार्यक्रम बना लिया जाय और उसका अनुसरण करके इसे अतिशीघ्र सम्पन्न कराया जाय।
			8- आगरा की कमला नगर आवासीय योजना में ग्राम लश्करपुर में भूमि के सम्बन्ध में उत्पन्न विवाद को समाप्त करने के लिये माननीय मंत्री जी, आवास एवं नगर विकास के स्तर पर एक बैठक आगरा में करायी जाय।
			9- जल निगम से भीमताल में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था के संदर्भ में आवास आयुक्त महोदय जल निगम/ जल संस्थान के अध्यक्षों से शीघ्र वार्ता कर इस समस्या का निराकरण करायें।
			10- रिवाल्विंग फण्ड के सम्बन्ध में गठित उप समिति की बैठक आवास आयुक्त महोदय के स्तर पर शीघ्र करायी जाय और लिये गये निर्णयों से परिषद को अवगत कराया जाय।
			11- परिषद अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में शासन से शीघ्र कार्यवाही करने के लिये पुनः आग्रह किया जाय।
			12- दिलकुशा में स्थित कैन्टोनमेंट बोर्ड की भूमि प्राप्त करने के लिये माननीय आवास मंत्री जी के स्तर से भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री जी से सम्पर्क करके शीघ्र अनुकूल निर्णय प्राप्त करने की चेष्ठा की जाय।
			13- पिथौरागढ़ तथा मंसूरी में भूमि चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करके परिषद के समक्ष ठोस प्रस्ताव रखा जाय।
			14- रानीखेत के लिये स्थल चयन समिति का ठोस प्रस्ताव प्राप्त कर परिषद के समक्ष रखा जाय।
			15- गोपेश्वर में स्थल चयन की कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न कर वस्तुस्थिति से परिषद को अवगत कराया जाय।
			16- निर्माण कार्य हेतु सीमेंट की आवश्यकता से शासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को अवगत कराया जाय और खाद्य एवं आपूर्ति आयुक्त से आवास आयुक्त महोदय व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण मात्रा में सीमेंट का आवंटन कराने की चेष्ठा की जाय।
			17- शाहजहाँपुर, हरिद्वार, काशीपुर और बरेली में परिषद की ओर योजना चलाने के लिये भूमि का चयन अप्रैल से जून-1982 के बीच अवश्य ही कराकर निश्चित प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा जाय।

कृ०प०उ०

1	2	3	4

18- कारपोरेट प्लान को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाय और परिषद की अगली बैठक में इसे प्रस्तुत किया जाये।

19- आपसी वार्ता द्वारा भूमि प्राप्त करने के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेटों का सहयोग प्राप्त करने के लिये शासन के राजस्व विभाग से शीघ्र ही शासनादेश निर्गत कराया जाय।

20- प्रशासनिक व्यय में कटौती किये जाने के संदर्भ में अन्य प्रदेशों की आवास विकास परिषदों के प्रशासनिक व्यय की स्थिति का पूर्ण अध्ययन किया जाय और वस्तुस्थिति से परिषद को अवगत कराया जाय।✗

✗ निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय:—
"यह भी निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक व्यय वार्षिक व्यय के आधार पर निकाला जाना चाहिये। प्रशासनिक व्यय की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्माण कार्य, भूमि विकास कार्य तथा भूमि अध्याप्ति कार्य के संबंध में हुये प्रशासनिक व्यय को ध्यान में रख कर प्रतिशत निकाला जाय।"

21- परिषद की भवन निर्माण विनियमावली के सम्बन्ध में गठित उप समिति की बैठक शीघ्र कराकर उप समिति की संस्तुति परिषद के समक्ष भविष्य में होने वाली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

22- बाराबंकी भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1 के लिए अनुपयुक्त तथा अयोग्य भूमि का चयन करने के लिये कौन अधिकारी/ कर्मचारी उत्तरदायी हैं। इस संदर्भ में जाँच कर पूर्ण आख्या प्रस्तुत की जाय।

23- परिषद द्वारा विनियमों में संशोधन के सम्बन्ध में पारित प्रस्तावों के अनुरूप गज़ट में प्रकाशन की कार्यवाही शीघ्रता से करायी जाय।

24- शामली भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना शामली के लिये अनुपयुक्त तथा अयोग्य स्थल चयन के लिये दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विवरण की जाँच करायी जाय और पूर्ण आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत की जाय।

25- नैनीताल की विभिन्न आवासीय योजनाओं के संदर्भ में शासन का पर्वतीय विकास विभाग व आयुक्त, कुमायूँ मण्डल से सम्पर्क कर इन्वायरमेंटल पोलूशन(Environmental Pollution) के संबंध में क्लीयरेंस (clearance शीघ्रता से प्राप्त किया जाय।

26- हापुड़-गाज़ियाबाद मार्ग पर आवासीय योजना संख्या-1, पिलखुआ, जिला-गाज़ियाबाद में आवासीय योजना चलाने का मामला प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये जो उप समिति गठित की गयी है, के समक्ष प्रस्तुत कर उप समिति की संस्तुति परिषद के निर्णयार्थ रखी जाय।

27- मोदीनगर में हापुड़ रोड पर भूमि अधिग्रहण की संभावना के बारे में शीघ्र कार्यवाही करायी जाय और प्रस्ताव प्राप्त कर परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

क्र०प०उ०

28- विदेशी मुद्रा में वरीयता के संदर्भ में विनियमों में संशोधन की कार्यवाही यदि अभी तक न हुई हो तो उसे तत्काल कराई जाय।

29- निर्माण कार्य की समीक्षा अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि इसके लिये विस्तृत प्रोफार्मा योजनावार बनाया जाय जिसमें दिखाया जाय कि अमुक योजना कब स्वीकृत हुई, उसके अधीन निर्माण कार्य कब संपन्न हुआ मल्यांकन कब किया गया तथा वास्तविक आवंटन कब हुआ। इस संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण ने जो प्रोफार्मा तैयार किया है को अध्यान में रख कर परिषद की योजनाओं के लिये तैयार किया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि लखनऊ की किसी दुर्बल आय वर्ग/अल्प आय वर्ग योजना में 25 भवनों का आवंटन (निर्माण कार्य पूरा होने के काफी पूर्व) कराया जाय ताकि आवंटी निर्माण कार्य के दौरान हो रहे निर्माण की गुणवत्ता को देख सके। इस प्रकार यदि भवन की गुणता में कुछ सुधार आ जाता है तो इसे अन्य योजनाओं में भी लागू करने के बारे में विचार करना चाहिये।

Delete ( )

Substitute: "छत ढालने से पूर्व"

30- दुर्बल आय वर्ग के भवनों में सीमेंट की छत के स्थान पर जैक आर्च की छत डालने के बारे में विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि सीमेंट की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति को देखते हुये निर्णय का कार्यान्वयन कराया जाय और इसमें जो कठिनाई हो उसे दूर किया जाय।

31- गोरखपुर में 'सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम' चलाये जाने हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता से शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त किया जाय।

32- प्राग नारायन रोड योजना लखनऊ की भूमि यदि नजूल भूमि हो तो उसके हस्तान्तरण के लिये शीघ्र शासन को प्रस्ताव भेजा जाय।

33- लखनऊ नगर में माननीय विधायकों के लिये 'सेल्फ फाइनेन्सिंग स्कीम' के अन्तर्गत आवासगृहों के निर्माण के सम्बन्ध में परिषद व्दारा पारित प्रस्ताव तथा विधि अधिकारी की राय शीघ्र शासन को भेजी जाय तथा शासन के आदेश प्राप्त किये जायं।

34- सुल्तानपुर में आवासीय योजना चलाने के लिये जिला अधिकारी, सुल्तानपुर से संपर्क करके स्थल का शीघ्र चयन किया जाय और अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

35- खीरी रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखीमपुर खीरी

1	2	3	4
			में समाविष्ट केथोलिक हायुसिस की भूमि के संबंध में शीघ्र केथोलिक डायसिस से वार्ता कर वस्तुस्थिति से परिषद को अवगत कराया जाय।
			36- देवघर धारा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ के संबंध में 'एप्रोच रोड योजना' अधीक्षण अभियन्ता से शीघ्र प्राप्त कर परिषद के समक्ष रखी जाय।
3— वर्ष-1981-82 का पुनरीक्षित एवं 1982-83 का आय व्ययक।	11/(3)/82		बजट के प्रस्तुतीकरण तथा बजट की सराहना एवं प्रशंसा करते हुये परिषद ने वर्ष 1981-82 का पुनरीक्षित एवं 1982-83 का अनुमानित आय-व्ययक टिप्पणी में उल्लिखित प्रस्तावों को निम्नलिखित संशोधनों के साथ सर्वसम्मति से पारित किया:-
			1- राजस्व व्यय के अन्तर्गत रिसर्च एवं डेवलपमेंट(आर०एण्ड आई०) के मद के अन्तर्गत 25 लाख का व्यय वर्ष-1982-83 में प्राविधान किया जाये। आर०एण्ड आई० मद के अन्तर्गत व्यय करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। आवास आयुक्त, मुख्य नगर एवं ग्राम निवेशक एवं निदेशक, सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, रुड़की इस समिति के सदस्य होंगे। समिति के निर्णयानुसार ही इस मद के अन्तर्गत व्यय किया जायेगा।
			2— पंजीगत प्राप्तियों के मद के अन्तर्गत पुनरीक्षित बजट 1981-82 एवं अनुमानित बजट 1982-83 में निम्नलिखित प्राविधान स्वीकृत किया जाता है:—

क्रमांक	मद	वर्ष-1981-82 पुनरीक्षित (लाखों में)	वर्ष-1982-83 के आय-व्ययक (लाखों में)
1-	राज्य सरकार से प्राप्त ऋण	150·00	180·00
2-	हडको ऋण	550·00	1300·00
3-	पंजीकरण जमा	1033·00	700·00
4-	सम्पत्ति विक्रय	600·00	1025·00

अन्य प्राविधान जैसा कि बजट में दर्शाया गया है, यथावत् रहेंगे।

3- सीमेंट की कमी को ध्यान में रखते हुए परिषद ने यह अनुमति प्रदान की है कि

(अ) कोटे के अन्तर्गत प्राप्त सीमेंट का उपयोग दुर्बल आय वर्ग, अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण में ही प्रयोग किया जाय जिससे निर्माण लागत पर नियन्त्रण रखा जा सके।

(ब) अल्प आय वर्ग के भवन एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग आने वाली सीमेंट की पूर्ति खुले बाजार से क्रय करके किया जाय। इस बात पर विशेष रूप से ध्यान

1	2	3	4
			दिया जाना है कि कोटे की सीमेंट अल्प आय वर्ग एवं दुर्बल आय वर्ग के निर्माण कार्यों पर ही प्रयोग में लायी जाय।
4-	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद लिपिकीय सेवा विनियम-1980 के विनियम-14 में संशोधन।	II/(4)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यथा प्रस्तावित प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि यह देख लिया जाय कि सेवा विनियमावली में 'नियुक्ति प्राधिकारी' शब्द परिभाषित है या नहीं। और यदि परिभाषित नहीं है तो उसे भी परिभाषित किया जाय।
5-	शिकोहाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (विस्तार) योजना, शिकोहाबाद (क्षेत्रफल 11.52 एकड़ अनुमानित लागत रुपये 16.396 लाख)	II/(5)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। यह भी निर्णय लिया गया कि कारपोरेट प्लान को अन्तिम रूप देते समय जब प्राथमिकता निर्धारित की जाय तब इस योजना को भी प्राथमिकता निर्धारित कर दी जाय।
6-	उच्च आय वर्ग के आवासों के विचार हेतु सर्वे के संदर्भ में।	II/(6)/82	परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कस्टमर-सर्वे की रिपोर्ट आवश्यक विवरण सहित शासन को भेज दी जाय ताकि शासन अपने स्तर पर उच्च आय वर्ग के आवास के संबंध में विचार कर शासनादेश पारित कर सके।
7-	कासगंज भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, कासगंज (क्षेत्रफल 114-65 अनुमानित लागत रुपये 253-92 लाख)	II/(7)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।
8-	बाजपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, बाजपुर जिला नैनीताल (क्षेत्रफल 5.87 एकड़ अनुमानित लागत रुपये 8.18 लाख।	II/(8)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।
9-	पतरामपुर रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना जसपुर, जिला नैनीताल (क्षेत्रफल-26.17 एकड़ अनुमानित लागत रुपये 40.208 लाख)	II/(9)/82	परिषद ने विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।
10-	सिविल लाइन्स भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, कानपुर।	II/(10)/82	परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया गया कि यह देख लिया जाय कि जिस भूमि पर यह योजना चलायी जानी है, का मामला अथवा वाद नगर भूमि सीमारोपण के अन्तर्गत चल रहा है अथवा नहीं। यदि यह भूमि नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अन्तर्गत शासन में निहित हो गई है अथवा निहित होने की संभावना है तो उसे अधिगृहीत न कर, शासन को इसे परिषद को हस्तान्तरित क0प0उ0

1	2	3	4
			करने के लिये अनुरोध किया जाय।
	11-उच्च आय वर्ग में विदेशी मुद्रा तथा नकद पद्धति पर भवन का प्रतिशत बढ़ाया जाना।	11/(11)/82	परिषद ने बिचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यक हो तो विनियमावली में तद्नुसार संशोधन करा लिया जाय।
	12-पत्रावलियों के निस्तारण को आफिसर ओरियेन्टेड बनाने के संबंध में।	11/(12)/82	परिषद व्दारा बिचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
	13-श्री आर०सी०सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता व्दारा प्राप्त सिबिल इंजीनियरिंग की डिग्री शासन व्दारा मान्यता प्राप्त न होने के सम्बन्ध में।	11/(13)/82	परिषद ने बिचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अध्यक्ष महोदय एवं आवास आयुक्त महोदय इस मामले का अध्ययन करके उचित निर्णय ले लें।
	14-अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।	11/(14)/82	परिषद ने बिचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से अभियन्त्रण सेवा के विभिन्न संवर्गों में भर्ती के समय परिषद में सेवा करने हेतु तीन वर्ष का बाण्ड मांगे जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।

बैठक अध्यक्ष महोदय को आभार प्रकट करते हुये समाप्त की गयी।

पुष्टि की गई
[signature] 15/5/1982
अध्यक्ष